



रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय, श्रीवा (म.प.)



शासी निकाय की 18 वीं बैठक का
कार्यवृत्त विवरण

दिनांक: 29.05.2017

स्थान—रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा



दूरभाष— 07662—233478

फैक्स— 07662—233669

ई—मेल— principalrecrewa@rediffmail.com

रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

उपस्थिति-पत्रक (संचालक मंडल)

आज दिनांक 29-05-2017 को रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रीवा की संचालक मंडल की बैठक माननीय मंत्री महोदय श्री दीपक जोशी जी, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे –

क्र.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	माननीय श्री दीपक जोशी	अध्यक्ष	
2	माननीय श्री राजेन्द्र शुक्ल	विशिष्ट अतिथि	
3.	कुलपति जी	सदस्य	
4.	डॉ० कल्पना श्रीवास्तव	सदस्य	
5.	डॉ० सी०एस० वर्मा	सदस्य	
6	डॉ० वीरेन्द्र कुमार	सदस्य	29/5/17
7.	डॉ० आर०पी० तिवारी	सदस्य	
8.	डॉ० एस०डी० शर्मा	सदस्य	
9.	डॉ० ए०के० दोहरे	सदस्य	29/05/2017
10.	डॉ० बी०के० अग्रवाल	सदस्य सचिव	29/05/17

संचालक मण्डल की 18वीं बैठक दिनांक 29.05.2017, स्थान – रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा (मोप्र०)

की

शासी निकाय (संचालक मण्डल) की दिनांक 29.05.2017 को

आयोजित 18 वीं बैठक की कार्य विवरण सूची

स्थान – रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)

प्रस्ताव क्र०	कार्य सूची		रिमार्क
18 / 01 / 2017	<p>संस्था की 17वीं बी.ओ.जी. के कार्य विवरण की पुष्टि :—</p> <p>दिनांक 23.06.2016 को वल्लभ भवन भोपाल में संपन्न संचालक मण्डल की बैठक के कार्य विवरण की पुष्टि की जावे। इस बैठक का पालन प्रतिवेदन संलग्न है।</p> <p>कृपया पुष्टि प्रदान करें।</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 01 पृष्ठ 20-26</p>		अनुमोदित
	व्यय के मद	व्यय के लिये अनुमानित उपलब्ध राशि (रु. लाख में)	
18 / 02 / 2017	5.1 भवन निर्माण, मरम्मत एवं रीफर्बिशमेन्ट	60.91	
	<p>(i) डायनामिक्स आफ मशीन लैब की फ्लोरिंग के संबंध में—</p> <p>इस महाविद्यालय के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में डायनामिक्स आफ मशीन लैब की फ्लोरिंग हेतु रु. 2.32 लाख (रु. दो लाख बत्तीस हजार) की आवश्यकता है।</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 2(i) पृष्ठ 27-33</p>	2.32	अनुमोदित (भण्डार क्य नियम म0प्र0 एवं प्राप्त वित्त अधिकारों के अंतर्गत)

	(ii) रसायन विभाग की छत की मरम्मत के संबंध में— रसायन विभाग के ऊपर की छत क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कक्षाओं में पानी टपकता है, जिसमें छत की मरम्मत एवं प्लास्टर कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य पर लगभग रु. 5.00 लाख (रु. पांच लाख) व्यय किया जाना प्रस्तावित है। संलग्न परिशिष्ट 2(ii) पृ0क0 34, 35	5.00	अनुमोदित (भण्डार क्य नियम म0प्र0 एवं प्राप्त वित्त अधिकारों के अंतर्गत)
	(iii) इलेक्ट्रानिक्स विभाग की छत की मरम्मत के संबंध में— इलेक्ट्रानिक्स विभाग की छत क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कक्षाओं में पानी टपकता है, जिसमें छत की मरम्मत एवं प्लास्टर कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य पर लगभग रु. 4.00 लाख (रु. चार लाख) व्यय किया जाना प्रस्तावित है। संलग्न परिशिष्ट 2(iii) पृ0क0 36, 37	4.00	
	(iv) संस्था में महिला/पुरुष स्टाफ के लिये अलग से टायलेट के निर्माण के संबंध में— संस्था में महिला/पुरुष स्टाफ के लिये अलग से टायलेट नहीं है, निर्माण में कुल 8.49 लाख (रु. आठ लाख उन्नास हजार) रूपये की लागत आयेगी। संलग्न परिशिष्ट 2(iv) पृ0क0 38–46	8.49	
	(v) संस्था के मुख्य भवन के सामने सौन्दरीयकरण का कार्य के संबंध में— संस्था के सामने दीवार पर ग्रेनाइट पत्थर, मार्बल फ्लोरिंग एवं कोम स्टील रेलिंग लगाकर सौन्दरीयकरण का कार्य कराया जाना है, जिसमें रु. 2.08 लाख (रु. दो लाख आठ हजार) का कार्य प्रस्तावित है। संलग्न परिशिष्ट 2(v) पृ0क0 47, 48	2.08	

	(vi) संस्था के सामने क्लोज प्ले ग्राउन्ड बनाने के कार्य के संबंध में:- संस्था के सामने खाली पड़े मैदान में चारों तरफ लोहे की फेन्सिंग कर, कबड्डी, वालीवाल, बास्केटबाल, लान टैनिस, खो-खो आदि खेलों हेतु प्ले ग्राउन्ड का निर्माण कराया जाना है, जिसमें लगभग रु. 10.0 लाख (रु. दस लाख) की लागत आयेगी। संलग्न परिशिष्ट 2(vi) पृष्ठ 49, 50	10.00	अनुमोदित (भण्डार क्य नियम म0प्र0 एवं प्राप्त वित्त अधिकारों के अंतर्गत)
	(vii) संस्था के कन्या छात्रावास में नाली निर्माण एवं मरम्मत के संबंध में:- संस्था के कन्या छात्रावास में जल निकास के लिए नाली निर्माण, पाइप लाइन एवं अन्य मरम्मत कार्य हेतु रु. 3.64 लाख (रु. तीन लाख चौसठ हजार) की आवश्यकता है। संलग्न परिशिष्ट 2(vii) पृष्ठ 51-55	3.64	
	(viii) दोनों कन्या छात्रावासों को जोड़ने वाली रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में:- नवीन एवं पुराने कन्या छात्रावासों को आपस में जोड़ने एवं उसके अंदर के लिए 1.50 मीटर चौड़ी कांकीट की रोड निर्माण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिसकी लागत रु 1.81 लाख (रु. एक लाख इक्यासी हजार) आयेगी। संलग्न परिशिष्ट 2(viii) पृष्ठ 56	1.81	
	(ix) आवास गृहों की मरम्मत के संबंध में:- इंजीनियरिंग कालेज कालोनी के आवास गृहों की छतों की मरम्मत के लिए रु. 5.00 लाख (रु. पाँच लाख) की आवश्यकता है। संलग्न परिशिष्ट 2(ix) पृष्ठ 57, 58	5.00	

	(x) आवास गृहों में फ्लोरिंग का कार्य के संबंध में— इंजीनियरिंग कालेज कालोनी के आवास गृहों में फ्लोरिंग का कार्य कराया जाना है, जिसकी लागत रु. 5.00 लाख (रु. पाँच लाख) आयेगी। संलग्न परिशिष्ट 2(x) पृष्ठ 59, 60	5.00	अनुमोदित (भण्डार कर्य नियम म0प्र0 एवं प्राप्त वित्त अधिकारों के अंतर्गत)
	(xi) आवास गृहों में छतों के नीचे लोहे के गार्डर लगाने के संबंध में— आवास गृहों में छतों की नीचे लगी पुरानी लकड़ी की धरनी कमज़ोर हो गई है, जिसको मजबूती प्रदान करने के लिये लोहे के कास गार्डर लगाने का रु. 4.97 लाख (रु. चार लाख सत्तानवे हजार) का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। संलग्न परिशिष्ट 2(xi) पृष्ठ 61	4.97	
	(xii) आवासीय गृहों के खिडकी, दरवाजे बदले जाने के कार्य के संबंध में— आवासीय गृहों के लकड़ी के खिडकी एवं दरवाजे छतिग्रस्त हो गये हैं। इन्हें बदलकर लोहे के खिडकी एवं दरवाजे लगाये जाने हेतु रु. 5.0 लाख (रु. पाँच लाख) का कार्य प्रस्तावित है। संलग्न परिशिष्ट 2(xii) पृष्ठ 62, 63	5.00	मद 5.1 के प्रस्ताव क. 2(i) से 2(xiii)
	(xiii) संस्था परिसर में एलईडी लाइट लगाने के संबंध में— संस्था परिसर में एलईडी लाइट लगाने हेतु रु. 2.45 लाख (रु. दो लाख पैतालिस हजार) की आवश्यकता है। संलग्न परिशिष्ट 2(xiii) पृष्ठ 64-67 कृपया उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान की जाये।	2.45	तक कुल 13 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये
	मद 5.1 के प्रस्तावों के अनुमानित व्यय की कुल राशि	59.76	

18 / 03 / 2017	5.2 उपकरणों का क्रय, उन्नयन, मरम्मत एवं कैलीब्रेशन	60.91	
	<p>(i) सिविल विभाग में उपकरण क्रय किये जाने के संबंध में:-</p> <p>सिविल विभाग में मटेरियल टेस्ट करने के लिए कंकीट लैब में आटोमैटिक कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन इत्यादि उपकरण क्रय करने के लिए रु. 15.45 (रु. पन्द्रह लाख पैतालिस हजार) व्यय किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 3(i) पृष्ठ 68-76</p>	15.45	अनुमोदित (भण्डार क्रय नियम म0प्र0 एवं प्राप्त वित्त अधिकारों के अंतर्गत)
	<p>(ii) मैकेनिकल विभाग के लिए उपकरण क्रय करने के संबंध में:-</p> <p>मैकेनिकल विभाग के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लैब, डायनामिक्स आफ मशीन लैब, कैडकैम लैब, एचएमटी लैब तथा मटेरियल टेस्टिंग लैब में उपकरण क्रय करने हेतु कुल रु. 16.0 लाख (रु. सोलह लाख) व्यय किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 3(ii) पृष्ठ 77</p>	16.00	
	<p>(iii) इलेक्ट्रिकल विभाग में उपकरणों के क्रय किये जाने के संबंध में :-</p> <p>संरथा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के रिसर्च लैब के लिये उपकरणों एवं मैटलैब साप्टवेयर इत्यादि क्रय करने के लिये रु 14.35 लाख (रु. चौदह लाख पैतिस हजार) का व्यय अनुमानित है।</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 3(iii) पृष्ठ 78</p>	14.35	

	(iv) इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन विभाग में उपकरणों के क्रय किये जाने के संबंध में :— संस्था के इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूनिकेशन विभाग में VLSI डिजाइन लैब में सिम्युलेशन टूल डेस्कटॉप कम्प्यूटर आदि उपकरण क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग रु. 9.15 लाख (रु. नौ लाख पन्द्रह हजार) का व्यय अनुमानित है। संलग्न परिशिष्ट 3(iv) पृष्ठ 79	9.15	अनुमोदित (भण्डार क्रय नियम म0प्र0 एवं प्राप्त वित्त अधिकारों के अंतर्गत)
	(v) कार्यालय के लिए उपकरण क्रय करने के संबंध में :— इस संस्था के प्राचार्य/कार्यालय कक्ष के लिए कम्प्यूटर एवं प्रिंटर 01 नग, फैक्स मशीन 01 नग, स्केनर 01 नग इत्यादि क्रय करने के लिए रु. 3.00 लाख (रु. तीन लाख) व्यय किया जाना प्रस्तावित है। संलग्न परिशिष्ट 3(v) पृष्ठ 80 कृपया उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान की जाये।	3.00	मद 5.2 के प्रस्ताव क. 3(i) से 3(v) तक कुल 05 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये
	मद 5.2 के प्रस्तावों के अनुमानित व्यय की कुल राशि	57.95	

18 / 04 / 2017	5.3 स्मार्ट क्लास रूम, लायब्रेरी, फर्नीचर का क्या एवं मरम्मत कार्य	60.91	
	(i) स्मार्ट क्लास रूम के उपकरण क्या करने के संबंध में— संस्था के विभागों में स्मार्ट क्लास रूम तैयार करने हेतु आवश्यक उपकरणों को क्या किया जाना है जिस पर रु. 26.25 लाख (रु. छब्बीस लाख पच्चीस हजार) व्यय किया जायेगा। संलग्न परिशिष्ट 4(i) पृष्ठ 81–86	26.25	अनुमोदित (भण्डार क्या नियम म0प्र0 एवं प्राप्त वित्त अधिकारों के अंतर्गत)
	(ii) पुस्तकों के क्या के संबंध में— पुस्तकालय में सभी विभागों के लिये नवीन सिलेबस के अनुसार पुस्तकों क्या किया जाना है जिस पर रु. 5.00 लाख (रु. पाँच लाख) व्यय किया जाना प्रस्तावित है। कृपया स्वीकृति प्रदान की जाये। संलग्न परिशिष्ट 4(ii) पृष्ठ 87–91	5.00	
	(iii) कार्यालय के लिए फर्नीचर क्या करने के संबंध में— कार्यालय/प्राचार्य कक्ष के लिए कुर्सियां क्या किया जाना है, जिस पर अनुमानित व्यय रु. 2.00 लाख (रु. दो लाख) की आवश्यकता होगी। संलग्न परिशिष्ट 4(iii) पृष्ठ 92, 93	2.00	

	(iv) नवीन कन्या छात्रावास में फर्नीचर कय के संबंध में:- नवीन कन्या छात्रावास में मेस टेबल, चेयर, न्यूज पेपर स्टैण्ड कय किया जाना प्रस्तावित है, जिस पर अनुमानित व्यय रु. 2.0 लाख (रु. दो लाख) की आवश्यकता होगी। संलग्न परिशिष्ट 4(iv) पृ0क0 94	2.00	अनुमोदित (भण्डार कय नियम म0प्र0 एवं प्राप्त वित्त अधिकारों के अंतर्गत)
	(v) गेम्स विभाग के लिए सामग्री कय करने के संबंध में:- इस संस्था के गेम्स विभाग के लिये विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए आवश्यक सामग्री कय किया जाना है, जिस पर रु. 3.0 लाख (रु. तीन लाख) व्यय किया जाना प्रस्तावित है। संलग्न परिशिष्ट 4(v) पृ0क0 95, 96 कृपया उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान की जाये।	3.00	मद 5.3 के प्रस्ताव क. 4(i) से 4(v) तक कुल 05 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये
	मद 5.3 के प्रस्तावों के अनुमानित व्यय की कुल राशि	38.25	

18 / 05 / 2017	5.4 संस्था की सुविधायें यथा सुरक्षा सफाई जल स्वास्थ्य, प्रकाश एवं आडिट	60.91	
	<p>(i) छात्राओं के लिये सेनेटरी नैपकिन वेन्डिंग मशीन क्य करने के संबंध में—</p> <p>इस संस्था में दो कन्या छात्रावास है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सुझाव के अनुसार छात्राओं के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक सेनेटरी नैपकिन वेन्डिंग मशीन रु. 67424.00 (रु. सङ्कर हजार चार सौ चौबिस) की क्य की गई है जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाये एवं एक नग सेनेटरी नैपकिन वेन्डिंग मशीन और क्य किया जाना प्रस्तावित है। दोनों की कुल लागत लगभग रु. 1.35 लाख (रु. एक लाख पैंतिस हजार) है।</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 5 (i) पृ0क0 97–103</p> <p>कृपया उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान की जाये।</p>	1.35	<p>अनुमोदित (भण्डार क्य नियम म0प्र0 एवं प्राप्त वित्त अधिकारों के अंतर्गत)</p> <p>मद 5.4 के प्रस्ताव क. 5(i) कुल 01 प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
	<p>मद 5.4 के प्रस्तावों के अनुमानित व्यय की कुल राशि</p> <p>उक्त मद में शेष राशि से सुरक्षा, सफाई, जल एवं प्रकाश से संबंधित बिलों का भुगतान किया जायेगा।</p>	1.35	

18/06/2017	5.6 शिक्षकों एवं छात्रों के प्रशिक्षण तथा छात्रों के प्लेसमेंट पर व्यय	12.18	
	<p>संस्था में कम्प्युटेशनल फ्ल्युड डायनामिक्स विषय पर एक सप्ताह का वर्कशाप आयोजित करने के संबंध में—</p> <p>(i) संस्था में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कम्प्युटेशनल फ्ल्युड डायनामिक्स विषय पर एक सप्ताह का वर्कशाप आयोजित करने का प्रस्ताव है, जिस पर लगभग रु. 1.92 लाख (रु. एक लाख बानवे हजार) का व्यय होगा।</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 6 (i) पृष्ठ 104–106</p>	1.92	अनुमोदित किया गया। (प्रस्ताव क्रमांक 6(i))
	<p>(ii) संस्था में क्रिस्प भोपाल द्वारा रिसर्च मैथडालाजी एवं एसपीएसएस एप्लीकेशन पर एक सप्ताह का वर्कशाप आयोजित करने के संबंध में—</p> <p>संस्था में क्रिस्प भोपाल द्वारा रिसर्च मैथडालाजी एवं एसपीएसएस एप्लीकेशन पर एक सप्ताह का वर्कशाप आयोजित करने का प्रस्ताव है, जिस पर लगभग रु. 4.25 लाख (रु. चार लाख पच्चीस हजार) का व्यय होगा।</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 6(ii) पृष्ठ 107–109</p> <p>कृपया उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान की जाये।</p>	4.25	अनुमोदित नहीं किया गया। (प्रस्ताव क्रमांक 6(ii))
	मद 5.6 के प्रस्तावों के अनुमानित व्यय की कुल राशि	6.17	

18 / 07 / 2017	<p>संस्था की आर.जी.पी.व्ही. भोपाल से वर्ष 2016-17 के लिये संबद्धता शुल्क की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में—</p> <p>आर.जी.पी.व्ही. भोपाल को संबद्धता शुल्क के रूप में सत्र 2016-17 में रु. 1.50 लाख (रु. एक लाख पचास हजार) का भुगतान किया गया है।</p> <p>कृपया कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करें।</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 7 पृष्ठ 110</p>	अनुमोदित किया गया।
18 / 08 / 2017	<p>सोसायटी के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को समयमान वेतनमान देने संबंधी प्रस्ताव के संबंध में—</p> <p>इस संस्था में कार्यरत स्वशासी अंतर्गत नियुक्त तृतीय श्रेणी लिपिकीय/अलिपिकीय/चतुर्थ श्रेणी नियमित/चतुर्थ श्रेणी आकस्मिक कर्मचारियों को 10 / 20 वर्ष की समयावधि पूर्ण होने पर शासकीय कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान दिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>कृपया अनुमति प्रदान किया जाये।</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 8 पृष्ठ 111-115</p>	अनुमोदित किया गया।

<p>18 / 09 / 2017</p> <p>संस्था में स्वशासी के भर्ती नियम 2004 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों को कैरियर संवर्धन योजना का लाभ प्रदाय करने के संबंध में—</p> <p>संस्था में स्वशासी भर्ती नियम 2004 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इन शिक्षकों को एआईसीटीई के छठवें वेतनमान 2006 के अनुसार कैरियर संवर्धन योजना का लाभ प्रदान किया गया है, तदनुसार इनका वेतन निर्धारण भी किया गया है। आदेश की सूची संलग्न है।</p> <p>कृपया अनुमोदित किया जाये।</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 9 पृष्ठ 116–121</p>	<p>अनुमोदित किया गया।</p>
<p>18 / 10 / 2017</p> <p>सोसायटी के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र के संबंध में—</p> <p>संस्था में स्वशासी के अंतर्गत कार्यरत निम्न शिक्षकों के द्वारा अन्यत्र नियुक्ति होने के फलस्वरूप अपने पद से त्याग पत्र प्रस्तुत किया गया एवं शासी निकाय की अनुमति की प्रत्याशा में इन्हें संस्था से कार्यमुक्त कर दिया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री देवेश पटेल, सहायक प्राध्यापक सिविल 2. श्री मयंक प्रियदर्शी, सहायक प्राध्यापक मैकेनिकल 3. श्री योगेन्द्र तिवारी, सहायक प्राध्यापक इलेक्ट्रिकल 4. श्री कंदुला नागेश्वरराव, सहायक प्राध्यापक इलेक्ट्रानिक्स <p>उक्त त्याग पत्रों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।</p> <p>कृपया स्वीकृति प्रदान की जाये।</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 10 पृष्ठ 122–129</p>	<p>अनुमोदित किया गया।</p>

<p>18 / 11 / 2017</p> <p>श्री अभय अग्रवाल सहायक प्राध्यापक को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में—</p> <p>श्री अभय अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक मैकेनिकल ने मैनिट भोपाल में पार्टटाइम पीएचडी करने हेतु वर्ष 2014 में प्रवेश लिया है एवं उक्त रिसर्च हेतु 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश चाहा गया है। म0प्र0 शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ 1–19 / 2015 / बयालिस (1) भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर 2015 की कंडिका— ब के अनुसार अध्ययन अवकाश दिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>कृपया अनुमोदित किया जाये।</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 11 पृष्ठ 130–138</p>	<p>अनुमोदित नहीं किया गया।</p>
<p>18 / 12 / 2017</p> <p>आडिट रिपोर्ट वर्ष 2015–16 अवलोकनार्थ संलग्न है।</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 12 पृष्ठ 139–143</p>	<p>अनुमोदित किया गया।</p>
<p>18 / 13 / 2017</p> <p>वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के अंतर्गत स्वशासी राशि का मदवार व्यौरा अवलोकनार्थ संलग्न है।</p> <p>संस्था की वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के अंतर्गत स्वशासी राशि का मदवार व्यौरा (वास्तविक बजट वर्ष 2016–17) एवं वर्ष 2017–18 का का अनुमानित बजट प्रस्तुत है।</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 13 पृष्ठ 144, 145</p>	<p>अनुमोदित किया गया।</p>

18 / 14 / 2017	<p>संस्था में डिजाइन सेंटर की स्थापना</p> <p>संस्था को टेक्यूप 3 के अंतर्गत मिलने वाली राशि से एक अत्याधुनिक डिजाइन सेंटर की स्थापना की जाना है, जिसमें भवन निर्माण, सर्वर, वर्क स्टेशन, सिविल, मैकैनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी. से संबंधित डिजाइन साफ्टवेयर, 3डी प्रिंटर आदि का क्य किया जाना है। उपरोक्त कार्यों को संपन्न करने के लिये अनुमानित व्यय रु. 3 करोड़ होगा।</p> <p>कृपया टेक्यूप 3 के अंतर्गत प्राप्त राशि से उक्त कार्यों को संपादित किये जाने का अनुमोदन किया जाये।</p>	अनुमोदित किया गया।
18 / 15 / 2017	<p>प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत “सबके लिये आवास— 2022” हेतु संस्था की 4.398 हेक्टेयर भूमि नगर पालिक निगम रीवा को हस्तांतरित करने के संबंध में।</p> <p>प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत “सबके लिये आवास— 2022” हेतु संस्था की 4.398 हेक्टेयर भूमि नगर पालिक निगम रीवा को हस्तांतरित करने बावत् आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा के पत्र क्रमांक/100/प्र.आ.यो. /न.पा.नि./2017 रीवा दिनांक 27.05.2017 के द्वारा प्रस्ताव संचालक मण्डल में रखने हेतु संप्रेषित किया गया है।</p> <p>संदर्भित पत्र के अनुसार आवास योजना हेतु 4.798 हेक्टेयर भूमि (अतिकमित एवं पहुंच मार्ग भूमि सहित) को नगर पालिक निगम रीवा को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</p> <p>कृपया अनुमोदित किया जाये।</p>	अनुमोदित किया गया। (प्रस्ताव क्रमांक 15 के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई)।


<p>प्रस्ताव क्रमांक 18 / 15 / 2017 के संबंध में नगर पालिक निगम रीवा को हस्तांतरित किये जाने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-</p> <p>1. नये एवं पुराने छात्रावास के पीछे की भूमि जिसमें सुन्दर नगर एवं अन्य बस्तियां बस गई हैं, उसमें महाविद्यालय की अतिकमित भूमि सहित 2.056 हेक्टेयर (5.08 एकड़) भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 के अंतर्गत नगर पालिक निगम रीवा को हस्तांतरित किये जाने का प्रस्ताव किया गया।</p> <p>उक्त भूमि का चयन इस प्रकार किया जावे कि संस्था के गेट नं. 1 (जिस पर रस्टेट बैंक स्थित है) की ओर आने वाली रोड एवं पश्चिम दिशा में सुन्दर नगर बस्ती के लिये प्रस्तावित 5 मीटर चौड़ी रोड के जंकशन तक भूमि विस्तारित हो।</p> <p>2. इस बसाहट के पहुंच मार्ग हेतु पश्चिमी सीमा में 5 मीटर चौड़ी रोड जिसका क्षेत्रफल 0.313 हेक्टेयर (0.77 एकड़) है। एवं जिसकी 0.063 हेक्टेयर (0.156 एकड़) भूमि अतिकमण क्षेत्र में आती है, नगर पालिक निगम रीवा को हस्तांतरित किये जाने का प्रस्ताव किया गया।</p> <p>3. शिवनगर स्थित 2.429 हेक्टेयर (6.0 एकड़) भूमि जो कि पूर्णतः अतिकमित है, को “प्रधानमंत्री आवास योजना- 2022” हेतु नगर निगम को हस्तांतरित किये जाने का प्रस्ताव किया गया।</p>		<p style="text-align: right;">अनुमानित किया गया।</p>
---	--	--


	<p>नगर पालिक निगम रीवा को हस्तांतरित किये जाने वाली कुल भूमि</p> <p>0.313 हेक्टेयर + 2.056 हेक्टेयर + 2.429 हेक्टेयर $= 4.798$ हेक्टेयर</p> <p>4. आसकीय पोलीटेक्निक कालेज के ठीक बगल में स्थित लगभग 3 एकड़ भूमि (अतिकमित) प्रदान नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास बनने उपरांत उक्त अतिकमित भूमि जिला प्रशासन / नगर निगम रिक्त कराकर महाविद्यालय को प्रदान करेगा जिसमें पालीटेक्निक कालेज का विस्तार होगा।</p> <p>5. संस्था के कन्या छात्रावास के पीछे की 2.50 एकड़ भूमि को भविश्य के विस्तार हेतु सुरक्षित रखा गया।</p> <p>कृपया अनुमोदित किया जाये।</p>	<p>अनुमोदित किया — १२५ —</p>
--	---	--------------------------------------


अन्य मुद्दे :–	
01	<p>संस्था की खाली पड़ी जमीन में विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय संस्थाओं द्वारा सम्मेलन, उत्सव आदि के आयोजन के उपयोग की अनुमति के संबंध में—</p> <p>संस्था परिसर में बच्चों के खेलकूद आदि के लिये खाली मैदान है। संस्था की इस खाली जमीन को उपयोग हेतु विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय संस्थाओं द्वारा सम्मेलन, उत्सव आदि के आयोजन हेतु मांग की जाती है। बिगत दिनों स्थानीय प्रशासन द्वारा विन्ध्य व्यापार मेला एवं विन्ध्य महोत्सव का आयोजन दिनांक 07 अप्रैल 2017 से 11 अप्रैल 2017 तक कराया गया। आयोजन के दौरान प्रयोग की जाने वाली विद्युत का भार विद्यालय के ऊपर ही पड़ता है। आयोजन के उपरांत संस्था परिसर में गंदगी फैल जाती है, जिसकी साफ—सफाई संस्था को ही करानी पड़ती है। इस प्रकार संस्था पर अनावश्यक वित्तीय भार बढ़ता है। इन आयोजनों से संस्था में छात्रों का पठन पाठन भी प्रभावित होता है। अतः उपरोक्त आयोजन शासी निकाय की अनुमति के बिना न कराया जाये। यदि शासी निकाय की अनुमति प्राप्त हो तो, आयोजनकर्ता से आयोजन हेतु एक निर्धारित राशि वसूली जाये, जिसका निर्धारण शासी निकाय स्तर पर किया जावे।</p> <p>यह प्रस्ताव आवश्यक निर्देश हेतु प्रस्तुत है।</p>

बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों को धन्यवाद के साथ संपन्न हुई।



(माननीय श्री दीपक जोशी जी)
अध्यक्ष



(माननीय श्री राजेन्द्र शुक्ल जी)
विशिष्ट अतिथि



(डॉ कल्पना श्रीवास्तव)
सदस्य


(डॉ वीरेन्द्र कुमार)
सदस्य


(डॉ आर०पी० तिवारी)
सदस्य


(डॉ एस०डी० शर्मा)
सदस्य


(डॉ ए०क० दोहरे)
सदस्य


(डॉ बी०क० अग्रवाल)
प्राचार्य / सदस्य सचिव
रीवा इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)